पंजीकरण सं0–एस0आर0ए0–यू0के0–1

Phone & Fax: 0135-26085'
Email – ufrmpsrc @gmail.co

उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन (जायका) स्वायत्त सहकारिता लि0

उत्तराखण्ड, देहरादून।

24, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून–248001

पत्रांक 965 / 39–17 दिनांक, देहरादून 09 फरवरी, 2021

प्रक्षेत्र आसवन इकाई की स्थापना हेतु सीमित निविदा नोटिस

उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन (जायका) स्वायत्त सहकारिता लि0 द्वारा जनपद–पौडी गढ़वाल के निम्न वन पंचायतों के अन्तर्गत जायका द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 10 कुन्तल एवं 5 कुन्तल क्षमता के प्रक्षेत्र आसवन संयंत्र स्थापित करने हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) सेलाकुई, देहरादून द्वारा सूचीबद्ध किये गये आसवन सयंत्र निर्माणकर्त्ताओं से पंजीकृत / कुरियर डाक द्वारा दिनांक 04.03. 2021 अपराह्न 03:00 बजे तक निर्धारित प्रप़त्र संलग्नक–1 एवं 2 में मुहरबंद निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	वन पंचायत का नाम	विकास खण्ड	प्रक्षेत्र आसवन इकाई की क्षमता
1	भुवाली	जयहरीखाल	10 कुन्तल
2	मौनी अकरी	दुग्ड्डा	10 कुन्तल
3	पठुरा अकरा	दुग्ड्डा	5 कुन्तल
4	अमोली	दुग्ड्डा	5 कुन्तल
4	दियूंसा	द्वारीखाल	5 कुन्तल

प्रत्येक 10 कुन्तल क्षमता के प्रक्षेत्र आसवन इकाई की निविदा का मूल्य रू0 1200 / –(जी0एस0टी सहित) है तथा निविदा की धरोहर राशि (EMD) रू0 30,000 / – (रू0 तीस हजार मात्र) है और प्रत्येक 5 कुन्तल क्षमता के प्रक्षेत्र आसवन इकाई की निविदा का मूल्य रू0 600–(जी0एस0टी सहित) तथा निविदा की धरोहर राशि (EMD) रू0 15,000 / – (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) है।

निविदायें अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनीत समिति / प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 05.03.2021 के अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेंगी। निविदा खोलने की तिथि 05.03.2021 को अवकाश घोषित होने पर निविदायें अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर खोली जायेंगी।

निविदादाता द्वारा निविदा दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से मुहरबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत की जानी होंगी। प्रत्येक प्रक्षेत्र आसवन इकाई हेतु पृथक–पृथक निविदा दी जानी है। निविदादाता को प्रत्येक निविदा के मुहरबंद लिफाफे पर अपना नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई निविदा किसी भी कारणवश इस कार्यालय को निर्धारित समय से प्राप्त नही होती हैं तो उसका उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नही होगा।